DAILY CURRENT AFFAIRS

Result Mitra

29 April 2025

THE HINDU

UPSC(IAS/PCS) AND ALL COMPITETIVE EXAM

The Indian EXPRESS

Hindustan Times

दैनिक जागरण

जनसत्ता

pib

THE HINDU

The Indian EXPRESS JOURNALISM OF COURAGE

ABHAY SIR

01 ब्रेस्ट छूने की कोशिश रेप की कोशिश नहीं

02 पाकिस्तान की भारत को परमाणु हमले की गीदड़ धमकी

03 पश्चिमी घाट में रोहू मछलियों की दो नई प्रजातियों की खोज

04 OTT और सोशल मीडिया पर रोक की मांग

05 भारत में वस्त्र उद्योग

06 MAP

Result Mitra

Result Mitra
ब्रेस्ट छूने की कोशिश रेप की कोशिश नहीं

ब्रेस्ट छूने की कोशिश रेप की कोशिश नहीं

Daily Current News

Result Mitra

- **कलकत्ता हाईकोर्ट** ने आरोपी को दी जमानत, कहा - नाबालिग के ब्रेस्ट छूने की कोशिश 'रेप की कोशिश' नहीं है, बल्कि 'गंभीर यौन उत्पीड़न' का मामला है
- कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि नाबालिग लड़की के नशे में होने की स्थिति में उसके ब्रेस्ट छूने की कोशिश को "रेप की कोशिश" नहीं माना जा सकता।
- अदालत ने इसे "गंभीर यौन उत्पीड़न" की श्रेणी में रखा और आरोपी को जमानत प्रदान कर दी।

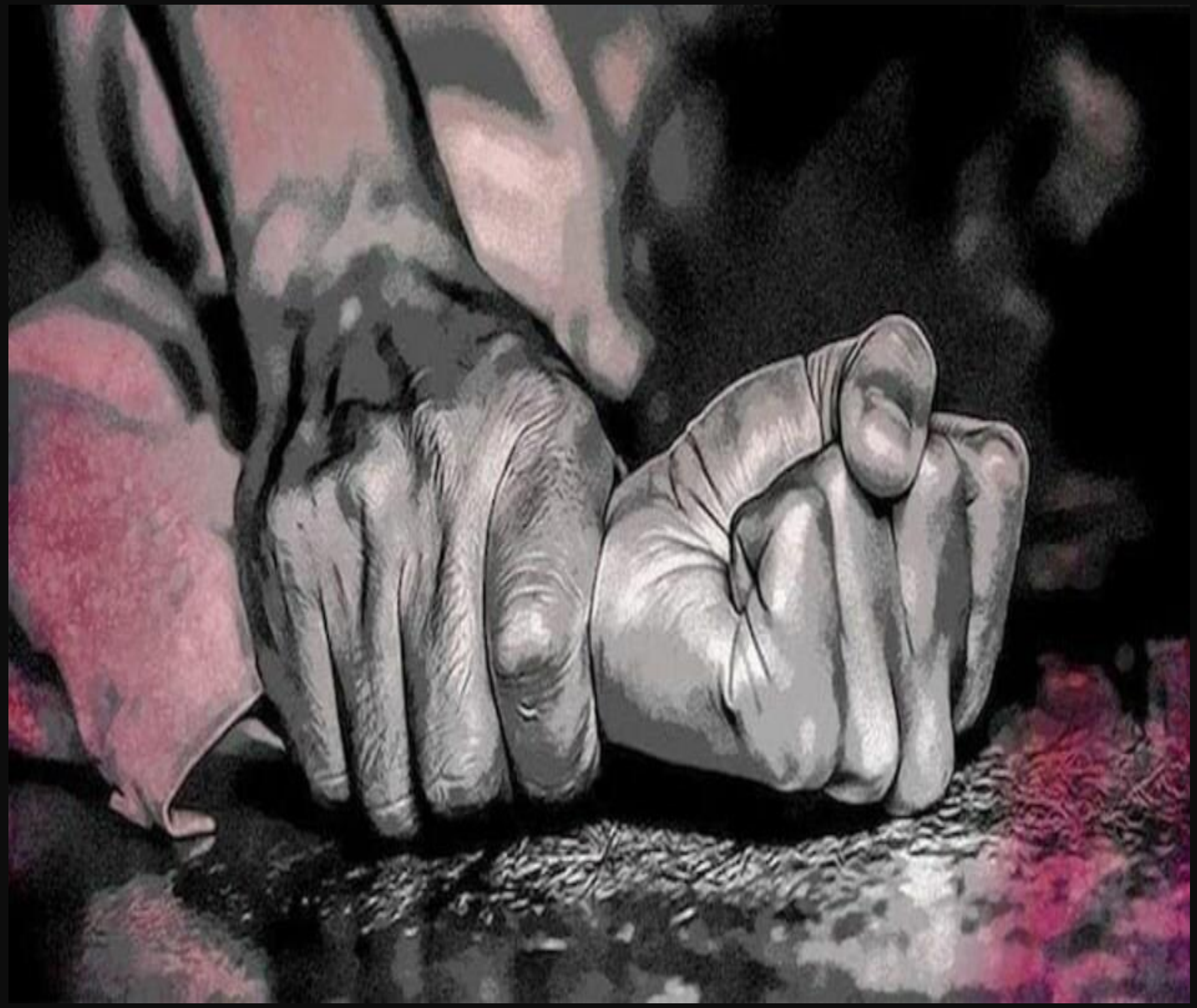

- यह फैसला ऐसे समय में आया है जब हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक समान टिप्पणी को "असंवेदनशील" करार दिया था और उस पर रोक भी लगा दी थी।
- सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले पर कड़ी टिप्पणी की थी जिसमें कहा गया था कि नाबालिग के ब्रेस्ट पकड़ना, पायजामे का नाड़ा खोलना या पुलिया के नीचे खींचकर ले जाने की कोशिश "रेप" के तहत नहीं आता।

- **मामले का विवरण:**
- ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को पॉक्सो (POCSO) अधिनियम की धारा 10 और भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 448, 376(2)(c), और 511 के तहत दोषी ठहराते हुए 12 साल के कठोर कारावास और 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी।

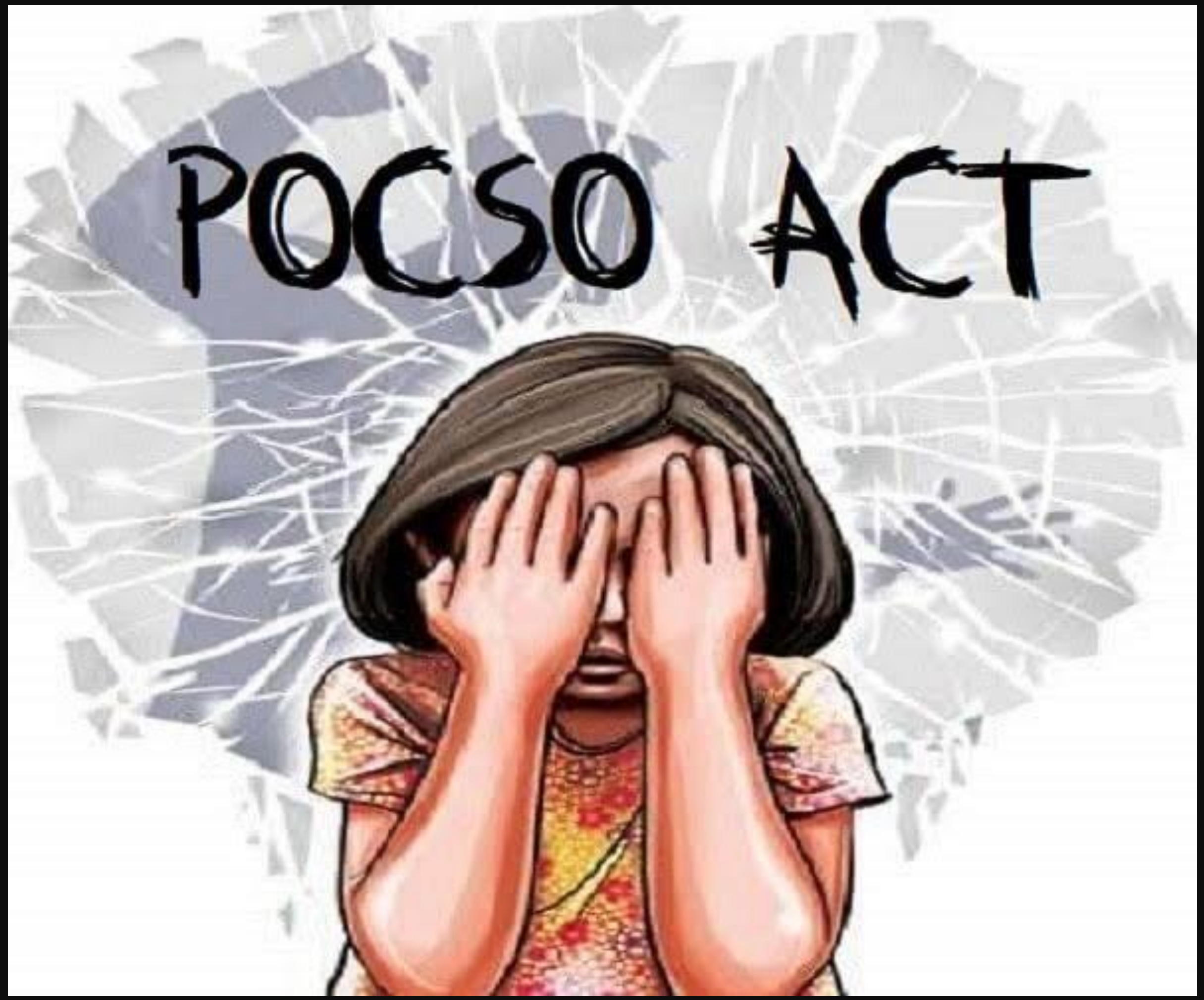

ब्रेस्ट छूने की कोशिश रेप की कोशिश नहीं

Daily Current News

- आरोपी ने इस फैसले को चुनौती देते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी।
- याचिका में आरोपी ने कहा कि वह दो साल से अधिक समय से जेल में है और ट्रायल के जल्द पूरे होने की संभावना नहीं है।
- उसने यह भी तर्क दिया कि भले ही पीड़िता और अन्य गवाहों की गवाही अदालत में स्वीकार की गई हो, लेकिन अपराध के आवश्यक तत्व (जैसे पेनिट्रेशन) साबित नहीं हुए हैं।

- **हाईकोर्ट का विश्लेषण और निर्णय:**
- जस्टिस अरिजीत बनर्जी और जस्टिस बिस्वरूप चौधरी की डिवीजन बेंच ने आरोपी के वकील की इस दलील को स्वीकार किया कि पेनिट्रेशन न होने के कारण IPC की धारा 376 के तहत बलात्कार का अपराध नहीं बनता।

ब्रेस्ट छूने की कोशिश रेप की कोशिश नहीं

Result Mitra

- अदालत ने कहा कि इस मामले में अधिकतम अपराध गंभीर यौन उत्पीड़न (POCSO की धारा 10) का बनता है, जिसकी अधिकतम सजा 5 से 7 साल है।
- अदालत ने यह भी ध्यान दिया कि आरोपी पहले ही दो साल से अधिक समय जेल में बिता चुका है और इस आधार पर उसे जमानत दी जा सकती है।

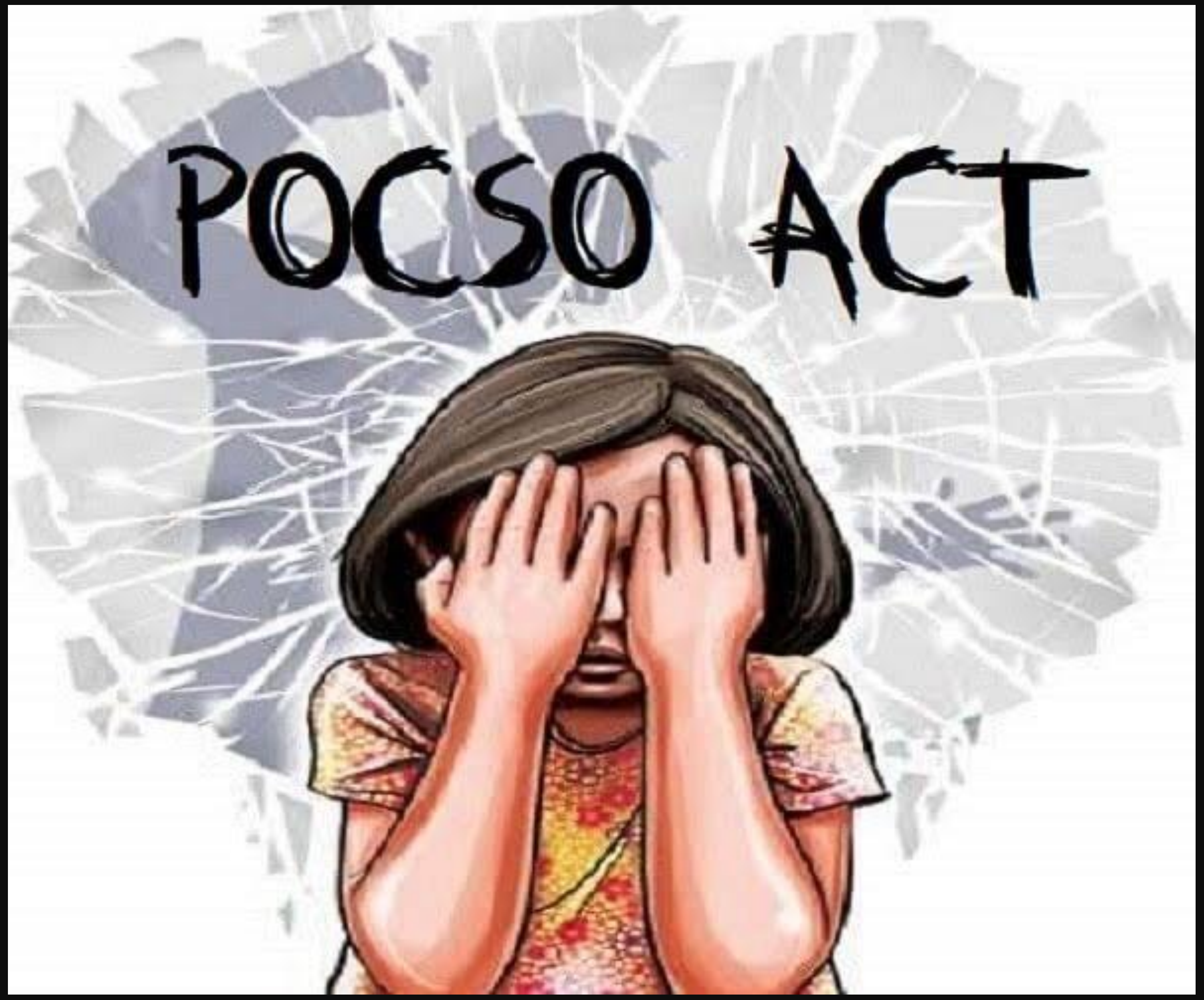

ब्रेस्ट छूने की कोशिश रेप की कोशिश नहीं

DAILY NEWS **Daily Current News**

Result Mitra

- कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पीड़िता के बयान में पेनिट्रेशन का कोई संकेत नहीं है, इसलिए रेप की कोशिश का मामला नहीं बनता, हालांकि आरोपी का कृत्य गंभीर था और इसे गंभीर यौन शोषण की श्रेणी में रखा जाना चाहिए।

- **पृष्ठभूमि में सुप्रीम कोर्ट का रुख:**
- सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले 26 मार्च को इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक फैसले को लेकर गहरी नाराजगी जाहिर की थी।
- सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि बच्चों के यौन उत्पीड़न से जुड़े मामलों में निर्णय करते समय अदालतों को अत्यधिक संवेदनशीलता बरतनी चाहिए और किसी भी तरह की लापरवाही गंभीर नतीजों का कारण बन सकती है।

ब्रेस्ट छूने की कोशिश रेप की कोशिश नहीं

DAILY NEWS

Daily Current News

Result Mitra

- भारत में महिलाओं के खिलाफ अपराधों की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। हाल के वर्षों में उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर, यह स्पष्ट है कि महिलाओं की सुरक्षा और अधिकारों की रक्षा के लिए और अधिक प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है।

ब्रेस्ट छूने की कोशिश रेप की कोशिश नहीं

Daily Current News

Result Mitra

- **प्रमुख आंकड़े: महिलाओं के खिलाफ अपराध**
- 1. राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) – 2022
- कुल मामले: 2022 में महिलाओं के खिलाफ 4,45,256 मामले दर्ज किए गए, जो 2021 (4,28,278) और 2020 (3,71,503) की तुलना में अधिक है।
- यह लगभग हर घंटे 51 मामले दर्ज होने के बराबर है।
- अपराध दर: प्रति लाख जनसंख्या पर अपराध दर 66.4 रही।

- **प्रमुख अपराध श्रेणियाँ:**
- पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता: 31.4%
- अपहरण और बलपूर्वक ले जाना: 19.2%
- महिलाओं की मर्यादा भंग करने के इरादे से हमला: 18.7%
- बलात्कार: 7.1%

- **राज्यवार आंकड़े:**
- उत्तर प्रदेश: 65,743 मामले
- महाराष्ट्र: 45,331 मामले
- राजस्थान: 45,058 मामले
- पश्चिम बंगाल: 34,738 मामले
- मध्य प्रदेश: 32,765 मामले

- **दिल्ली:** राजधानी दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ अपराध दर 144.4 रही, जो राष्ट्रीय औसत से कहीं अधिक है।

- **2. राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) – 2023**
- कुल शिकायतें: 2023 में महिलाओं के खिलाफ अपराधों की 28,811 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से लगभग 55% उत्तर प्रदेश से थीं।

- **प्रमुख श्रेणियाँ:**
- मर्यादा का अधिकार (घरेलू हिंसा को छोड़कर उत्पीड़न): 8,540 शिकायतें
- **घरेलू हिंसा:** 6,274 शिकायतें
- **दहेज उत्पीड़न:** 4,797 शिकायतें
- **छेड़छाड़:** 2,349 शिकायतें
- **बलात्कार और बलात्कार की कोशिश:** 1,537 शिकायतें

- अन्य शिकायतें: यौन उत्पीड़न (805), साइबर अपराध (605), पीछा करना (472), और ऑनर क्राइम (409) शामिल हैं।
- **दिल्ली में अपराध दर में गिरावट – 2024**
- दिल्ली पुलिस के अनुसार, 2024 में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में 8.6% की गिरावट दर्ज की गई।
- बलात्कार के मामले: 2023 में 2,141 से घटकर 2024 में 1,919 हो गए, जो 10.3% की कमी है।

- **छेड़छाड़ के मामले:** 2023 में 2,345 से घटकर 2024 में 1,897 हो गए, जो 19% की कमी है।
- **ईव-टीज़िंग के मामले:** 2023 में 381 से घटकर 2024 में 343 हो गए, जो 9% की कमी है।
- पुलिस अधिकारियों ने इस गिरावट का श्रेय अपराध-प्रवण क्षेत्रों में बढ़ी हुई तैनाती और त्वरित, सक्रिय उपायों को दिया है।

- शॉर्ट नोट्स
- 1. कलकत्ता हाईकोर्ट का फैसला (2025)
- मामला: नाबालिग के नशे की हालत में ब्रेस्ट छूने की कोशिश।
- फैसला: इसे 'रेप की कोशिश' नहीं, बल्कि 'गंभीर यौन उत्पीड़न' माना गया।
- आरोपी को जमानत: आरोपी पहले ही 2+ साल जेल में रहा, इसलिए जमानत दी गई।

- ध्यान योग्य: सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट की इसी तरह की टिप्पणी को "असंवेदनशील" कहा था और रोक लगाई थी।
- **2. ट्रायल कोर्ट का निर्णय**
- सजा: POCSO धारा 10 व IPC धारा 448, 376(2)(c), 511 के तहत 12 साल कठोर कारावास व 50,000 रु जुर्माना।

- हाईकोर्ट का विश्लेषण: पेनिट्रेशन के सबूत नहीं मिले, इसलिए रेप की कोशिश का मामला नहीं बनता।

- **3. सुप्रीम कोर्ट का रुख**
- 26 मार्च 2025: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बच्चों के यौन शोषण मामलों में अत्यधिक संवेदनशीलता ज़रूरी है।
- इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई।

- **भारत में महिलाओं के खिलाफ अपराध - नवीनतम डाटा**
- राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) – 2022
- कुल मामले: 4,45,256
- हर घंटे: 51 मामले।
- अपराध दर: 66.4 प्रति लाख जनसंख्या।

- **प्रमुख अपराध:**
- पति/रिश्तेदार द्वारा क्रूरता (31.4%)
- अपहरण (19.2%)
- मर्यादा भंग (18.7%)
- बलात्कार (7.1%)

- **राज्यवार आंकड़े:**
- उत्तर प्रदेश (65,743 मामले)
- महाराष्ट्र (45,331 मामले)
- राजस्थान (45,058 मामले)
- पश्चिम बंगाल (34,738 मामले)
- मध्य प्रदेश (32,765 मामले)
- दिल्ली में अपराध दर सबसे अधिक (144.4)

ब्रेस्ट छूने की कोशिश रेप की कोशिश नहीं

Result Mitra

- **राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) – 2023**
- कुल शिकायतें: 28,811
- **प्रमुख श्रेणियाँ:**
- मर्यादा का अधिकार (8,540)
- घरेलू हिंसा (6,274)
- दहेज उत्पीड़न (4,797)
- छेड़छाड़ (2,349)
- बलात्कार व प्रयास (1,537)

- **दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ अपराध दर में गिरावट – 2024**
- कुल गिरावट: 8.6%
- बलात्कार के मामले: 10.3% कमी।
- छेड़छाड़ के मामले: 19% कमी।
- ईव-टीज़िंग: 9% कमी।
- कारण: पुलिस की सक्रियता और संवेदनशील क्षेत्रों में ज्यादा तैनाती।

प्रश्न 2: 'यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम' (POCSO Act), 2012 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह अधिनियम बालकों और बालिकाओं दोनों को समान रूप से सुरक्षा प्रदान करता है।
2. इसके तहत हर अपराध को संज्ञेय (Cognizable) अपराध माना गया है।
3. इस अधिनियम के तहत ट्रायल के दौरान पीड़ित बच्चे की पहचान गोपनीय रखना अनिवार्य नहीं है।

सही विकल्प चुनिए:

(a) केवल 1
(b) केवल 1 और 2
(c) केवल 2 और 3
(d) केवल 1 और 3

उत्तर: (b) केवल 1 और 2

व्याख्या:
कथन 1 सही है POCSO Act लिंग भेद के बिना सभी बच्चों की रक्षा करता है।
कथन 2 सही है POCSO के तहत अपराध संज्ञेय माने जाते हैं।
कथन 3 गलत है पीड़ित बच्चे की पहचान गोपनीय रखना अनिवार्य है।

Result Mitra
पाकिस्तान की भारत को परमाणु हमले की गीदड़ धमकी

- **स्थिति:**
- पाकिस्तान ने कई बार भारत के खिलाफ परमाणु हमले की धमकियाँ दी हैं, खासकर तब जब भारत ने नियंत्रण रेखा (LoC) पर सर्जिकल स्ट्राइक (2016) या बालाकोट एयर स्ट्राइक (2019) जैसे सैन्य अभियानों को अंजाम दिया।

भारत को परमाणु हमले की गीदड़ धमकी

Daily Current News

Result Mitra

- **पाकिस्तान का उद्देश्य:**
- भारत के पारंपरिक सैन्य दबाव को रोकना।
- अंतरराष्ट्रीय समुदाय को डराना कि अगर मामला बढ़ा तो परमाणु युद्ध हो सकता है।
- आंतरिक असंतोष और सैन्य प्रतिष्ठान की छवि को मजबूत करना।

भारत को परमाणु हमले की गीदड़ धमकी

- **भारत की प्रतिक्रिया:**
- भारत संयम से प्रतिक्रिया देता है, लेकिन यह स्पष्ट करता है कि यदि पाकिस्तान ने परमाणु हथियारों का उपयोग किया तो भारत जवाबी हमले में पाकिस्तान का अस्तित्व मिटा सकता है।
- भारत की "नो फर्स्ट यूज़" (No First Use - NFU) नीति ने विश्व मंच पर उसे एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति के रूप में स्थापित किया है।

- **यथार्थता:**
- परमाणु हमले की धमकी देना और वास्तव में उसे अंजाम देना दो अलग बातें हैं।
- पाकिस्तान जानता है कि पहला हमला करने पर उसे वैश्विक प्रतिबंधों और सामूहिक प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ेगा।
- भारत के पास विश्वसनीय सेकंड स्ट्राइक क्षमता है (दूसरे हमले के बाद भी जवाबी हमला करने की ताकत), जो पाकिस्तान को व्यावहारिक रूप से परमाणु युद्ध से रोकती है।

- **2. परमाणु हथियार: भारत और विश्व**
- **भारत का परमाणु दर्शन:**
- शांतिपूर्ण परमाणु नीति: भारत ने हमेशा परमाणु हथियारों को "निरोधक" (Deterrence) के रूप में रखा है, न कि आक्रामक हथियार के रूप में।
- No First Use (NFU) नीति: भारत पहले परमाणु हथियार का प्रयोग नहीं करेगा। अगर उस पर हमला होता है, तो प्रचंड जवाब देगा।

- विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोधक क्षमता (Credible Minimum Deterrence): भारत आवश्यकता से अधिक हथियार नहीं बनाएगा, लेकिन पर्याप्त क्षमता बनाए रखेगा।
- **भारत का वैश्विक दृष्टिकोण:**
- भारत परमाणु अप्रसार संधि (NPT) में शामिल नहीं हुआ क्योंकि उसे उसमें परमाणु भेदभाव नजर आता है, लेकिन भारत ने अपनी परमाणु नीति को जिम्मेदारी से निभाया है।
- भारत मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम (MTCR) और वासेनार एरेंजमेंट जैसे नियंत्रण समूहों का सदस्य है।

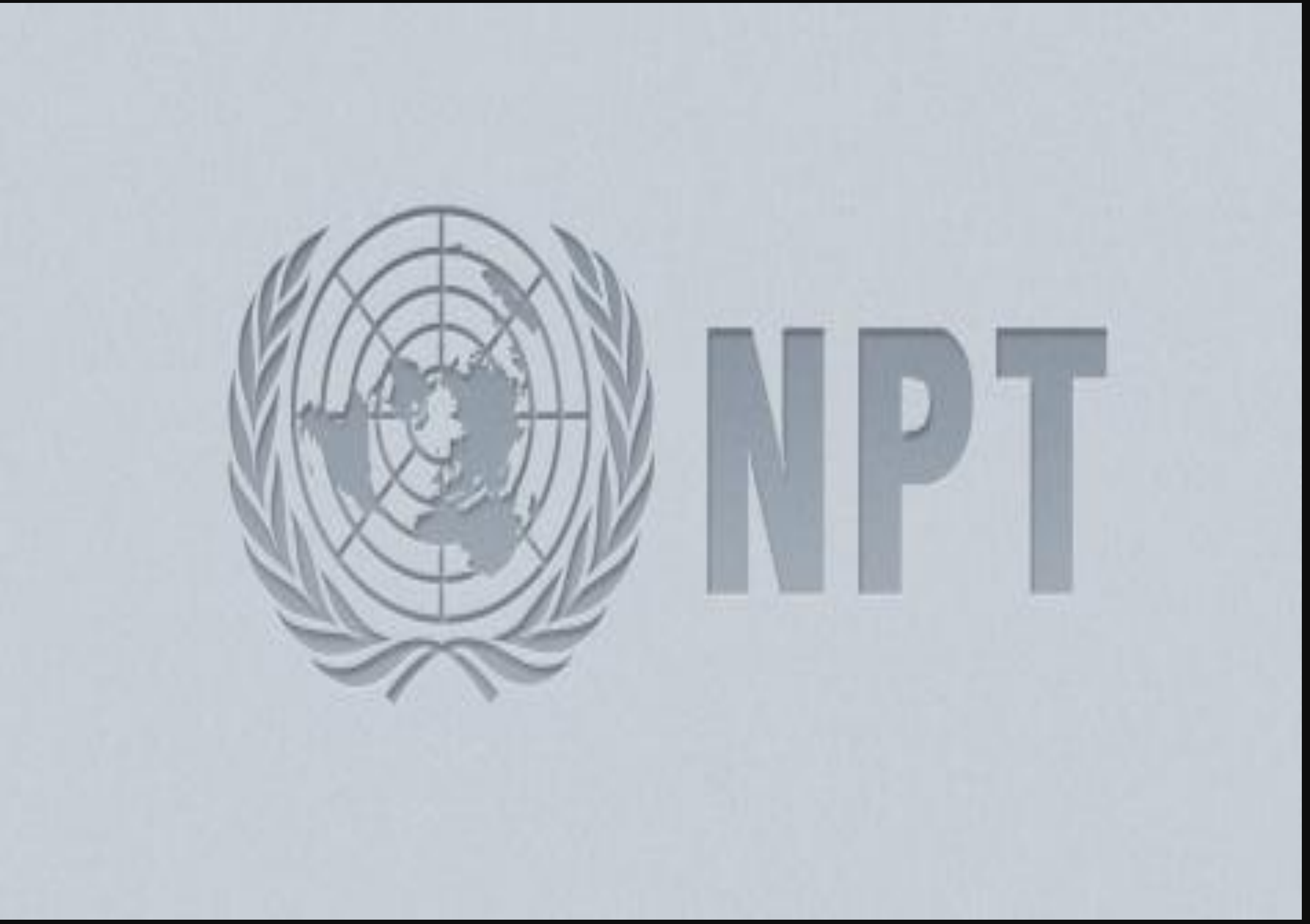

- भारत वैश्विक परमाणु निरस्त्रीकरण का समर्थक है लेकिन जब तक विश्व से परमाणु हथियार खत्म नहीं हो जाते, भारत अपनी सुरक्षा के लिए तैयार रहेगा।
- **विश्व में परमाणु हथियारों की स्थिति:**
- वर्तमान में अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन के पास बड़े परमाणु शस्त्रागार हैं।
- भारत, पाकिस्तान, इज़राइल, और उत्तर कोरिया अन्य घोषित या अघोषित परमाणु शक्तियाँ हैं।

- शीत युद्ध के बाद से परमाणु हथियारों का उपयोग टला है, लेकिन छोटे-छोटे क्षेत्रीय संघर्षों (जैसे भारत-पाकिस्तान) में परमाणु हथियारों की अनिश्चितता एक चिंता का विषय बनी रहती है।
- **यह रहा एक सरल चार्ट:**

क्रमांक	देश	अनुमानित कुल परमाणु हथियार
1	रूस	5,580
2	अमेरिका	5,244
3	चीन	500–600
4	फ्रांस	290
5	यूनाइटेड किंगडम (ब्रिटेन)	225
6	पाकिस्तान	170–180
7	भारत	160–170
8	इज़राइल	80–90
9	उत्तर कोरिया	40–50 (तेजी से बढ़ रही संख्या)

- **कुछ खास बातें:**
- रूस और अमेरिका के पास दुनिया के कुल परमाणु हथियारों का लगभग 90% हिस्सा है।
- चीन अपने परमाणु हथियारों की संख्या तेजी से बढ़ा रहा है।
- भारत और पाकिस्तान के बीच संतुलन बना हुआ है, लेकिन भारत की नीति "मिनिमम डिटरेंस" (न्यूनतम निरोधक क्षमता) पर आधारित है।

- उत्तर कोरिया ने हाल के वर्षों में अपने परमाणु कार्यक्रम को काफी आक्रामक तरीके से बढ़ाया है।
- इज़राइल ने कभी आधिकारिक तौर पर परमाणु शक्ति होने की पुष्टि नहीं की है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि उसके पास परमाणु हथियार हैं।

प्रश्न 1: परमाणु अप्रसार संधि (NPT) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. NPT का उद्देश्य परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना और परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना है।
2. भारत ने NPT पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, लेकिन अभी तक इसकी पुष्टि (ratify) नहीं की है।
3. NPT केवल उन देशों को परमाणु हथियार राष्ट्र (Nuclear Weapon States) मानता है जो 1 जनवरी 1967 से पहले परमाणु परीक्षण कर चुके थे।

सही विकल्प चुनिए:

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 1 और 3
(c) केवल 2 और 3
(d) 1, 2 और 3

Result Mitra

उत्तर: (b) केवल 1 और 3

व्याख्या:

कथन 1 सही है - NPT का मुख्य उद्देश्य परमाणु हथियारों का प्रसार रोकना और परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग बढ़ाना है।

कथन 2 गलत है भारत ने NPT पर हस्ताक्षर ही नहीं किया है।

कथन 3 सही है - NPT के अनुसार, 1 जनवरी 1967 से पहले परमाणु परीक्षण करने वाले देशों (अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन) को परमाणु हथियार राष्ट्र माना गया है।

Result Mitra
पश्चिमी घाट में रोहू मछलियों की दो नई प्रजातियों की खोज

रोहू मछलियों की दो नई प्रजातियों की खोज

Daily Current News

Result Mitra

- नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज (NBFGR) के वैज्ञानिकों ने पश्चिमी घाट में मीठे पानी की दो नई मछली प्रजातियों की खोज की है।
- इनका नाम 'लेबियो उरु' और 'लेबियो चेकिडा' रखा गया है।
- ये खोज पश्चिमी घाट की समृद्ध जैव विविधता को और गहराई से समझने में मदद करती है।

- **कौन-सी मछली कहां मिली?**
- **लेबियो उरु :**
- इस प्रजाति को कर्नाटक की चंद्रगिरी नदी में खोजा गया।
- इसकी एक खासियत है — इसके लंबे पृष्ठीय (पीठ पर लगे) पंख, जो वहां की पारंपरिक लकड़ी की नाव 'उरु' के पाल जैसे दिखते हैं। इसी वजह से इसका नाम 'उरु' रखा गया।

रोहू मछलियों की दो नई प्रजातियों की खोज

Daily Current News

Result Mitra

- **लेबियो चेकिडा :**
- यह मछली केरल की चालक्कुडी नदी में मिली।
- यह छोटी और गहरे रंग की होती है। स्थानीय लोग इसे 'काका चेकिडा' भी कहते हैं।
- इसका रंग और आकार इस नदी की अनूठी जैव विविधता को दर्शाते हैं।

- **लेबियो निग्रेसेंस:**
- 155 साल पुरानी गुत्थी सुलझी साथ ही वैज्ञानिकों ने एक तीसरी मछली, 'लेबियो निग्रेसेंस', की पहचान भी स्पष्ट कर दी है।
- इस मछली का जिक्र सबसे पहले 1870 में हुआ था, लेकिन तब से अब तक इसके बारे में भ्रम बना हुआ था।
- अब आधुनिक तकनीक से विश्लेषण कर यह साबित किया गया कि यह वास्तव में एक अलग प्रजाति है।

- लेबियो निग्रेसेंस की पहचान इसके शरीर की खास स्केल संरचना और टेढ़ी-मेढ़ी बगल की रेखाओं से होती है, जो इसे बाकी मछलियों से अलग बनाती हैं।
- **इस खोज का महत्व**
- यह खोज बताती है कि पश्चिमी घाट जैव विविधता के एक अनमोल खजाना है, जिसमें अभी भी कई रहस्य छिपे हैं।

- यह भी साफ होता है कि हमारे जल स्रोतों और उसमें रहने वाले जीवों का संरक्षण करना हमारी जिम्मेदारी है, ताकि भविष्य की पीढ़ियां भी इस प्राकृतिक धरोहर का आनंद ले सकें।
- इन नई खोजों से जुड़ी पूरी जानकारी प्रतिष्ठित 'इंडियन जर्नल ऑफ फिशरीज' में प्रकाशित हुई है।

- **भारत में पाई जाने वाली प्रमुख मछलियाँ और उनकी विशेषताएँ**
- **1. रोहू (Rohu)**
- वैज्ञानिक नाम: Labeo rohita
- प्रकार: मीठे पानी की मछली
- **विशेषताएँ:**
- तेजी से बढ़ती है, इसलिए व्यावसायिक मत्स्य पालन में बहुत लोकप्रिय है।
- स्वादिष्ट मांस के लिए जानी जाती है।
- मुख्य रूप से नदियों और तालाबों में पाई जाती है

- 2. कटला (Catla)
- वैज्ञानिक नाम: Catla catla
- प्रकार: मीठे पानी की मछली
- विशेषताएँ:
- बड़ा सिर और ऊपर की ओर खुलने वाला मुंह।
- मुख्य रूप से सतही जल पर भोजन करती है।
- मछली पालन उद्योग में रोहू के साथ मिलकर पाली जाती है।

रोहू मछलियों की दो नई प्रजातियों की खोज

Daily Current News

Result Mitra

- **3. मृगला (Mrigal)**
- वैज्ञानिक नाम: Cirrhinus mrigala
- प्रकार: मीठे पानी की मछली
- **विशेषताएँ:**
- नदियों और झीलों में पाई जाती है।
- मुख्य रूप से तल पर भोजन करती है।
- इसकी वृद्धि दर भी अच्छी है, इसलिए व्यावसायिक खेती में उपयोगी है।

- **4. हिल्सा (Hilsa)**
- वैज्ञानिक नाम: Tenualosa ilisha
- प्रकार: खारे और मीठे पानी दोनों में रहने वाली मछली (एनाड्रोमस)
- **विशेषताएँ:**
- भारत का राष्ट्रीय मछली के रूप में प्रसिद्ध।
- विशेष रूप से गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के मुहानों में पाई जाती है।
- स्वाद के लिए बेहद लोकप्रिय, खासकर बंगाल में।
- प्रवास करती है: प्रजनन के लिए समुद्र से नदियों में आती है।

- **5. भारतीय कस्तूरी मछली (Indian Trout)**
- वैज्ञानिक नाम: Barilius bendelisis
- प्रकार: मीठे पानी की मछली
- **विशेषताएँ:**
- साफ और ठंडे पहाड़ी नदियों में मिलती है।
- तेज धाराओं में जीवित रहती है।
- रंगीन धारियों वाला सुंदर शरीर होता है।

- **6. मैगुर (Walking Catfish)**
- वैज्ञानिक नाम: Clarias batrachus
- प्रकार: मीठे पानी की मछली
- **विशेषताएँ:**
- शुष्क भूमि पर भी सीमित दूरी तक "चल" सकती है।
- कम ऑक्सीजन वाले पानी में भी जीवित रह सकती है।
- पोषण से भरपूर होती है और औषधीय गुण भी माने जाते हैं।

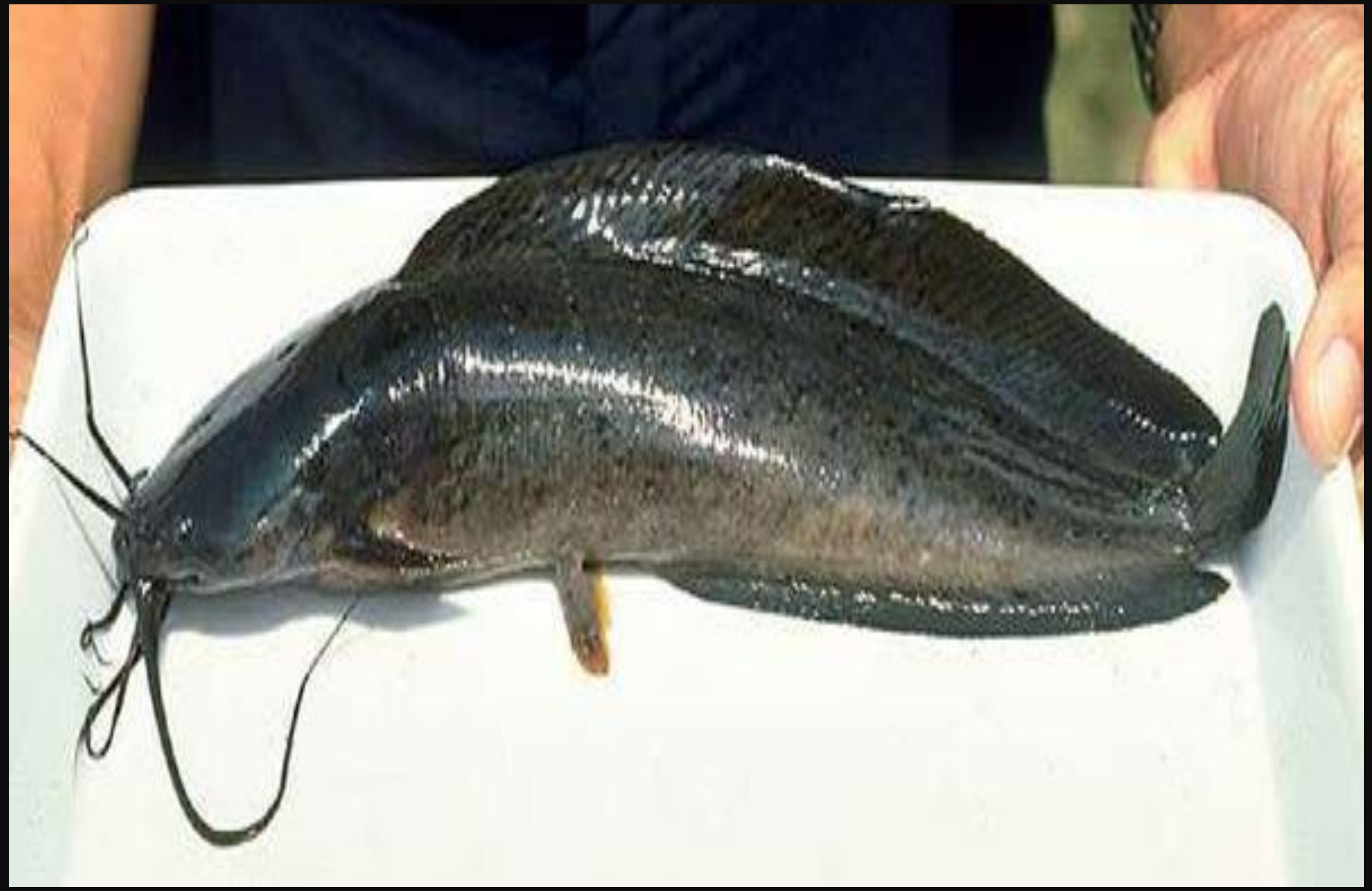

- 7. सिंघी (Stinging Catfish)
- वैज्ञानिक नाम: Heteropneustes fossilis
- प्रकार: मीठे पानी की मछली
- विशेषताएँ:
- कांटेदार फिन से हल्की चोट भी पहुंचा सकती है।
- औषधीय दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है।
- गांवों के तालाबों और छोटे जल स्रोतों में आसानी से मिलती है।

- **8. मूड फिश (Murrel)**
- वैज्ञानिक नाम: Channa species
- प्रकार: मीठे पानी की मछली
- **विशेषताएँ:**
- तालाबों और नदियों में पाई जाती है।
- ऊपर आकर वायुमंडलीय ऑक्सीजन भी ले सकती है।
- तेज शिकारी स्वभाव की होती है।

- **9. पंगास (Pangasius)**
- वैज्ञानिक नाम: Pangasianodon hypophthalmus
- प्रकार: मीठे पानी की मछली
- **विशेषताएँ:**
- वाणिज्यिक स्तर पर बड़े पैमाने पर पालन होती है।
- जल्दी बढ़ती है और प्रोटीन में समृद्ध होती है।
- भारत में मत्स्य पालन उद्योग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

रोहू मछलियों की दो नई प्रजातियों की खोज

Daily Current News

Result Mitra

- **भारत में मछलियों से जुड़ी कुछ प्रमुख बातें**
- भारत में नदियाँ, झीलें, तालाब और समुद्र – सभी मिलकर मछलियों की अद्भुत विविधता को आश्रय देते हैं।
- भारत विश्व के शीर्ष मत्स्य उत्पादक देशों में से एक है।
- भारतीय मत्स्य पालन न केवल पोषण का एक बड़ा स्रोत है, बल्कि लाखों लोगों की आजीविका का भी आधार है।
- देश में 'राष्ट्रीय मछली दिवस' (National Fish Farmers Day) हर साल 10 जुलाई को मनाया जाता है।

- **भारत और विश्व में मत्स्य उत्पादन**
- भारत में मत्स्य उत्पादन
- भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक देश है (पहले स्थान पर चीन है)।
- भारत का मत्स्य क्षेत्र कृषि के बाद सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र है।

- **भारतीय मत्स्य उत्पादन दो भागों में बाँटा जाता है:**
- 1. समुद्री मत्स्य पालन (Marine Fisheries) – समुद्र से मछलियाँ पकड़ना।
- 2. अंतर्देशीय मत्स्य पालन (Inland Fisheries) – नदियों, झीलों, तालाबों आदि से मछलियाँ प्राप्त करना और पालना।

Result Mitra

- **प्रमुख आँकड़े (2024 तक के अनुमान अनुसार):**
- कुल उत्पादन: 1.7 करोड़ टन से अधिक।
- भारत के कुल मत्स्य उत्पादन में:
- 65% हिस्सा अंतर्देशीय (Inland) क्षेत्र से आता है।
- 35% हिस्सा समुद्री (Marine) क्षेत्र से आता है।

- **भारत झींगा (Shrimp) के निर्यात में दुनिया में पहले स्थान पर है।**
- **भारत के प्रमुख मत्स्य उत्पादक राज्य:**
- आंध्र प्रदेश
- पश्चिम बंगाल
- गुजरात
- ओडिशा
- तमिलनाडु
- महाराष्ट्र

- **भारत में मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कुछ योजनाएँ:**
- **प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY)** – मत्स्य पालन के बुनियादी ढाँचे को मजबूत करने के लिए।
- **ब्लू रिवोल्यूशन (नीली क्रांति)** – मछली उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक विशेष कार्यक्रम।

रोहू मछलियों की दो नई प्रजातियों की खोज

Daily Current News

Result Mitra

- **विश्व में मत्स्य उत्पादन**
- चीन दुनिया का सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक देश है (कुल वैश्विक उत्पादन का लगभग 35% चीन से आता है)।
- भारत दूसरे स्थान पर है।
- अन्य प्रमुख देश:
- इंडोनेशिया
- वियतनाम
- अमेरिका
- रूस
- जापान

- वैश्विक मत्स्य उत्पादन में जलीय कृषि (Aquaculture) यानी कृत्रिम तालाबों या टैंक में मछली पालन का योगदान लगातार बढ़ रहा है।
- **विश्व के कुल मत्स्य उत्पादन के मुख्य स्रोत:**
- समुद्र (Marine)
- मीठे पानी के स्रोत (Inland)
- जलीय कृषि (Aquaculture)

रोहू मछलियों की दो नई प्रजातियों की खोज

Daily Current News

Result Mitra

- **वैश्विक कुल उत्पादन (2022-23 के अनुसार):**
- 23 करोड़ टन के आसपास।
- जिसमें से लगभग:
- 50% से अधिक उत्पादन जलीय कृषि (Aquaculture) से हो रहा है।
- बाकी का समुद्री और मीठे पानी के प्राकृतिक स्रोतों से आता है।

रोहू मछलियों की दो नई प्रजातियों की खोज

Result Mitra

- **महत्वपूर्ण बिंदु:**
- भविष्य में दुनिया में मछली की मांग बढ़ने की संभावना है, इसलिए जलीय कृषि का महत्व और भी बढ़ रहा है।
- सतत मत्स्य प्रबंधन (Sustainable Fisheries Management) की आवश्यकता है ताकि प्राकृतिक जल स्रोतों की जैव विविधता सुरक्षित रह सके।
- जलवायु परिवर्तन (Climate Change) भी मत्स्य उद्योग पर बड़ा असर डाल सकता है।

रोहू मछलियों की दो नई प्रजातियों की खोज

Daily Current News

Result Mitra

- **शॉर्ट नोट्स**
- पश्चिमी घाट में नई मछली प्रजातियाँ और भारत में मत्स्य उत्पादन
- नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज (NBFGR) के वैज्ञानिकों ने पश्चिमी घाट में मीठे पानी की दो नई मछली प्रजातियाँ खोजी हैं:
- **1. लेबियो उरु –** कर्नाटक की चंद्रगिरी नदी में मिली, इसके लंबे पंख पारंपरिक नाव 'उरु' जैसे दिखते हैं।

- **2. लेबियो चेकिडा** – केरल की चालक्कुडी नदी में मिली, यह छोटी और गहरे रंग की मछली है।
- साथ ही, लेबियो निग्रेसेंस प्रजाति की 155 साल पुरानी पहचान भी स्पष्ट की गई है।
- **भारत में मत्स्य उत्पादन:**
- भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक है।
- कुल उत्पादन: 1.7 करोड़ टन+

- 65% उत्पादन अंतर्देशीय (Inland) और 35% समुद्री (Marine) से आता है।
- प्रमुख राज्य: आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात, ओडिशा, तमिलनाडु।
- झींगा का भारत में निर्यात सबसे अधिक है।
- **विश्व में मत्स्य उत्पादन:**
- चीन सबसे बड़ा उत्पादक (35% वैश्विक उत्पादन) है, और भारत दूसरे स्थान पर है।
- वैश्विक उत्पादन: लगभग 23 करोड़ टन, जिसमें 50% जलीय कृषि से है।

रोहू मछलियों की दो नई प्रजातियों की खोज

Daily Current News

Result Mitra

- यह खोज और आंकड़े बताते हैं कि भारत में मत्स्य पालन महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधि है, और इसके संरक्षण की आवश्यकता है।

प्रश्न 1: भारत में मछली पालन (Fisheries) के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें:

1. भारत विश्व में सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है।
2. भारत में मछली उत्पादन का अधिकांश हिस्सा समुद्री (Marine) मत्स्य पालन से आता है।
3. 'प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना' (PMMSY) का उद्देश्य मछली उत्पादन को दोगुना करना है।

सही विकल्प चुनिए:

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 3
(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (c) केवल 3

व्याख्या:

कथन 1 गलत है चीन विश्व में सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है; भारत दूसरा सबसे बड़ा है।

कथन 2 गलत है भारत में मछली उत्पादन का अधिकांश हिस्सा अंतर्देशीय (Inland) जल स्रोतों (नदियाँ, तालाब आदि) से आता है।

कथन 3 सही है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) का उद्देश्य मछली उत्पादन को बढ़ावा देना और किसानों की आय को दोगुना करना है

Result Mitra
prime video
ZEE5
Disney+ hotstar
SONY
LIV
WhatsApp
voot
MX PLAYER
OTT और सोशल मीडिया पर रोक की मांग

OTT और सोशल मीडिया पर रोक की मांग

Daily Current News

Result Mitra

- **सुप्रीम कोर्ट ने OTT और सोशल मीडिया पर अश्लील कंटेंट** रोकने की मांग पर केंद्र और 9 कंपनियों को नोटिस भेजा
- सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें OTT प्लेटफॉर्म्स और सोशल मीडिया पर अश्लील कंटेंट की स्ट्रीमिंग रोकने की मांग की गई थी।
- जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने इस याचिका को गंभीर बताया और कहा कि केंद्र सरकार को इस पर कदम उठाने की जरूरत है।

OTT और सोशल मीडिया पर रोक की मांग

Daily Current News

- कोर्ट ने केंद्र सरकार और 9 कंपनियों को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा है।
- बेंच ने कहा कि आमतौर पर ऐसे मामले कार्यपालिका या संसद के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। फिर भी, इस मुद्दे की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने सुनवाई के लिए नोटिस भेजा है।
- केंद्र की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि OTT और सोशल मीडिया कंटेंट के लिए पहले से कुछ नियम मौजूद हैं और सरकार नए नियम बनाने पर भी विचार कर

- याचिकाकर्ता की ओर से वकील विष्णु शंकर जैन पेश हुए। उन्होंने कहा कि OTT और सोशल मीडिया पर परोसी जा रही अश्लील सामग्री का युवाओं और समाज पर बुरा असर पड़ रहा है।
- इसीलिए इस पर सख्त नियंत्रण जरूरी है।

- **OTT-सोशल मीडिया पर अश्लील कंटेंट का मामला**
- **याचिका में दो कमेटी बनाने का सुझाव**
- 1:- पहली कमेटी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज और एक्सपर्ट शामिल हों, जो डिजिटल कंटेंट की निगरानी और सर्टिफिकेशन करें।

- 2 :– पहली कमेटी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज और एक्सपर्ट शामिल हों, जो डिजिटल कंटेंट की निगरानी और सर्टिफिकेशन करें।
- **अश्लील कंटेंट पर रोक की मांग:** सुप्रीम कोर्ट में याचिका, नया प्राधिकरण बनाने का सुझाव

OTT और सोशल मीडिया पर रोक की मांग

Daily Current News

Result Mitra

- पत्रकार और पूर्व सूचना आयुक्त उदय माहुरकर ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर OTT और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अश्लील कंटेंट को रोकने की मांग की है।
- उन्होंने 'राष्ट्रीय कंटेंट नियंत्रण प्राधिकरण' (National Content Control Authority) बनाने का सुझाव भी दिया है, ताकि इस तरह की सामग्री पर निगरानी रखी जा सके।

- याचिका में कहा गया है कि आजकल OTT और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बिना किसी जांच के अश्लील कंटेंट परोस रहे हैं।
- इससे युवाओं, बच्चों और बड़ों पर भी बुरा असर पड़ रहा है।
- कुछ प्लेटफॉर्म्स पर तो चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़े तत्व भी मौजूद हैं।
- इस तरह की सामग्री से अपराध दर बढ़ने का खतरा है।

- **सस्ता इंटरनेट बना वजह**
- उदय माहुरकर का कहना है कि इंटरनेट की कम कीमत और आसान उपलब्धता के कारण हर उम्र के लोग बिना रोक-टोक अश्लील कंटेंट तक पहुंच रहे हैं।
- यह स्थिति सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती है।

- उन्होंने चेतावनी दी कि अगर समय रहते पाबंदियां नहीं लगाई गईं, तो इसका बुरा असर समाज के नैतिक मूल्यों और मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ेगा।
- उन्होंने सरकार से अपील की कि वह अपना संवैधानिक कर्तव्य निभाए और सुनिश्चित करे कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स विकृत मानसिकता को बढ़ावा न दें।

OTT और सोशल मीडिया पर रोक की मांग

Daily Current News

Result Mitra

- **सुप्रीम कोर्ट से मांग**
- याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है कि वह केंद्र सरकार को निर्देश दे कि जब तक डिजिटल प्लेटफॉर्म्स बच्चों और नाबालिगों के लिए अश्लील कंटेंट को रोकने का पुख्ता सिस्टम नहीं बना लेते, तब तक उनकी पहुंच सीमित कर दी जाए।

- 2020 में OTT प्लेटफॉर्म्स ने सेल्फ रेगुलेशन कोड बनाया था
- साल 2020 में नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम वीडियो सहित 15 OTT प्लेटफॉर्म्स ने सेल्फ रेगुलेशन कोड बनाया था।
- इंटरनेट एंड मोबाइल असोसिएशन ऑफ इंडिया (IAMAI) ने बताया था कि यह रेगुलेशन कोड अलग-अलग उम्र के लोगों के लिए कंटेंट के बांटने और दर्शकों के लिए उपयुक्त कंटेंट परोसने पर ध्यान केंद्रित करेगा।

OTT और सोशल मीडिया पर रोक की मांग

Daily Current News

Result Mitra

- **2020 में बना ओटीटी का सेल्फ रेगुलेशन कोड**
- नेटफ्लिक्स और वूट जैसे 15 बड़े OTT प्लेटफॉर्म्स ने मिलकर 2020 में सेल्फ रेगुलेशन कोड बनाया।
- इस रेगुलेशन कोड में ओटीटी प्लेयर्स ने 5 तरह के कंटेट ओटीटी प्लेटफार्म पर न दिखाने की सहमति दी।
- इसके अंतर्गत कहा गया कि राष्ट्रीय भावनाओं का अपमान करने वाला कोई कंटेंट नहीं दिखाया जाएगा।
- चाइल्ड पोर्नोग्राफी और आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला कंटेंट भी पेश नहीं किया जाएगा।

- प्लेटफॉर्म्स ने कहा कि वो धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला कंटेंट भी दिखाने से बचेंगे।
- साथ ही कहा गया कि ऐसा कोई कंटेंट नहीं दिखाया जाएगा, जिस पर अदालत ने रोक लगाई हो।
- हालांकि, कई आपत्तियां होने के चलते सरकार ने इस रेगुलेशन कोड को काफी नहीं माना।
- केंद्र सरकार ला रही है नया डिजिटल इंडिया बिल, सोशल मीडिया पर होगी सख्ती
- केंद्र सरकार मौजूदा आईटी एक्ट को हटाकर एक नया कानून – डिजिटल इंडिया बिल – लाने की तैयारी में है।

- इस बिल का मकसद सोशल मीडिया पर अश्लीलता को रोकना और यूट्यूबर्स व डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स को नियमों के दायरे में लाना है।
- सरकार पिछले 15 महीनों से इस बिल पर काम कर रही है। इसमें टेलीकम्युनिकेशन, आईटी और मीडिया जैसे अलग-अलग क्षेत्रों के लिए अलग-अलग नियम बनाए जाएंगे।

- **अभी क्या गाइडलाइन है ऑनलाइन कंटेंट को लेकर?**
- भारत सरकार ने 2021 में 'इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड) रूल्स' बनाए थे। इसे 6 अप्रैल 2023 को अपडेट भी किया गया था।
- 30 पेज की इस गाइडलाइन में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, फिल्में और वेब सीरीज को लेकर कई नियम तय किए गए हैं।

OTT और सोशल मीडिया पर रोक की मांग

Daily Current News

Result Mitra

- गाइडलाइन के पेज नंबर-28 पर फिल्मों, वेब सीरीज और एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स के लिए खास निर्देश दिए गए हैं।
- **इसमें कहा गया है कि:**
- कंटेंट को उसकी टारगेट ऑडियंस (जैसे बच्चे, युवा या वयस्क) के अनुसार कैटेगरी में रखना जरूरी है।
- दिखाए जाने वाले कंटेंट के बारे में साफ चेतावनी देना भी जरूरी है।

- **कंटेंट से जुड़ी सरकार की गाइडलाइंस;-**
- आत्महत्या और खुद को नुकसान वाले सीन बच्चों और युवाओं को नहीं दिखाएंगे, इन्हें हायर कैटेगरी में रखेंगे यानी चेतावनी के साथ दिखाएंगे
- ऐसी भाषा, बोली, मुहावरे का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जिससे किसी की गरिमा को ठेस पहुंचे, देश में भाषाई विविधता है, देश की संस्कृति का ध्यान रखना होगा

- न्यूडिटी को लेकर देश में लागू कानून के अनुसार ही कोई कंटेंट ब्रॉडकास्ट किया जा सकता है
- सेक्शुअल कंटेंट को हायर क्लासिफिकेशन एडल्ट (A) के साथ बताना पड़ेगा
- U/A 16+ और A कैटेगरी में बताए गए सेक्सुअल कंटेंट को सिर्फ उसी कैटिगरी में पब्लिश कर सकते हैं, लेकिन अश्लील कंटेंट के नियम को लागू करना जरूरी होगा

OTT और सोशल मीडिया पर रोक की मांग

Daily Current News

Result Mitra

- **डिजिटल कंटेंट की निगरानी के लिए दो स्तर पर नियम बनाए गए हैं**
- 1. खुद प्लेटफॉर्म्स की जिम्मेदारी (सेल्फ रेगुलेशन):
- जो भी कंटेंट अपलोड करेगा, उसे सरकार की गाइडलाइंस का पालन करना होगा।
- इसके लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, OTT ऐप्स और मोबाइल एप्लिकेशन खुद ही निगरानी करेंगे।
- वे चेक करेंगे कि अपलोड किया गया कंटेंट कहीं गलत तो नहीं है।
- खास ध्यान रहेगा कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी न हो।

- देखना होगा कि सेक्शुअल कंटेंट किस स्तर का है और भाषा कैसी है।
- नियमों का पालन न करने वाले कंटेंट को हटाना भी प्लेटफॉर्म्स की जिम्मेदारी होगी।
- **2. शिकायत का सिस्टम (यूजर की शिकायत का समाधान):**
- अगर किसी व्यक्ति को कंटेंट से आपत्ति है, तो वह शिकायत कर सकता है।

- इसके लिए हर प्लेटफॉर्म, वेबसाइट या एप पर एक शिकायत निवारण सिस्टम (Grievance Redressal System) होना अनिवार्य है।
- वहां ग्रीवांस ऑफिसर का नाम, फोन नंबर और ईमेल आईडी दी होगी।
- कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत वहां दर्ज कर सकेगा।
- ग्रीवांस ऑफिसर को 24 घंटे के भीतर शिकायत को रजिस्टर करना होगा और शिकायतकर्ता को इसकी जानकारी (Acknowledgment) देनी होगी।

- 15 दिन के भीतर शिकायत का समाधान करना जरूरी है। अगर कंटेंट हटाने की जरूरत हो, तो उसे हटाया जाएगा।
- अगर शिकायत का समाधान न हो, तो व्यक्ति सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की वेबसाइट पर भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है।

भारत में ओटीटी प्लेटफॉर्म के रेगुलेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. भारत सरकार ने ओटीटी प्लेटफॉर्म को 'सूचना और प्रसारण मंत्रालय' (Ministry of Information and Broadcasting) के अंतर्गत लाया है।
2. 'इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (मध्यवर्ती दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021' ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए लागू किए गए हैं।
3. ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए फिल्मों को सेंसर बोर्ड (CBFC) से प्रमाणित कराना अनिवार्य है।

सही उत्तर चुनिए:

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (a) केवल 1 और 2

व्याख्या:

कथन 1 सही है नवंबर 2020 में भारत सरकार ने ओटीटी प्लेटफॉर्म को सूचना और प्रसारण मंत्रालय (I&B Ministry) के अधीन कर दिया।

कथन 2 सही है- फरवरी 2021 में लागू हुए IT Rules 2021 में ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए गाइडलाइंस तय की गईं।

कथन 3 गलत है ओटीटी प्लेटफॉर्म के कंटेंट के लिए सेंसर बोर्ड (CBFC) से प्रमाणन अनिवार्य नहीं है; उन्हें स्वयं नियमन (self-regulation) का पालन करना होता है।

ATLANTIC OCEAN
FRANCE
ANDORRA
La Coruna
Gijon
Bilbao
Leon
Pamplona
Vigo
Valladolid
Zaragoza
Barcelona
Salamanca
Segovia
MADRID
Minorca
Toledo
Mallorca
PORTUGAL
Valencia
SPAIN
Ibiza
Olivenza
Albacete
Alicante
Cordoba
Seville
Granada
Mojacar
Cadiz
Malaga
Gibraltar
MEDITERRANEAN SEA
100 km
100 miles

Portugal
International Boundary
District Boundary
Road
River
National Capital
District Capital
City or Town
0 25 50 KM
0 25 50 Miles
© 2007 Geology.com
North Atlantic Ocean
SPAIN
PORTUGAL
Golfo de Cadiz
VIANA DO CASTELO
BRAGA
VILA REAL
BRAGANCA
PORTO
VISEU
AVEIRO
GUARDA
COIMBRA
CASTELO BRANCO
LEIRIA
LISBON
SANTAREM
PORTALEGRE
EVORA
SETUBAL
BEJA
FARO
Valenca
Viana do Castelo
Braga
Guimaraes
Fafe
Chaves
Braganca
Vila Real
Porto
Aveiro
Viseu
Vilar Formoso
Guarda
Coimbra
Figueira da Foz
Covilha
Castelo Branco
Leiria
Tomar
Abrantes
Caldas da Rainha
Santarem
Portalegre
Mora
Estremoz
Lisbon
Almada
Barreiro
Vendas Novas
Evora
Setubal
Alcacer do Sal
Grandola
Moura
Beja
Serpa
Sines
Vila Real de Santo Antonio
Ayamonte
Lagos
Portimao
Tavira
Faro
Sagres
Verin
Benavente
Zamora
Barca d'Alva
Salamanca
Ciudad Rodrigo
Bejar
Plascencia
Caceres
Trujillo
Valencia De Alcantara
Merida
Badajoz
Zafra
Fregenal de la Sierra
Sevilla
Huelva
Utrera
Rio Minho
Rio Lima
Rio Tamega
Rio Douro
Rio Mondego
Rio Zezere
Tagus
Rio Guadiana
Rio Sado
Rio Chanca
Rio Guadalquivir

BELGIUM
GERMANY
LUXEMBOURG
Calais
English Channel
Cherbourg
Le Havre
Rouen
Reims
Nancy
PARIS
Epernay
Brest
Dinard
St Malo
Bayeux
Strasbourg
Angers
Orleans
Dijon
Nantes
Tours
SWITZERLAND
ATLANTIC
OCEAN
FRANCE
Lyon
Aix-les-Bains
Grenoble
ITALY
Bordeaux
Bay of Biscay
Cahors
Aix-en-Provence
Avignon
Arles
Nice
Montpellier
Cannes
Toulouse
Biarritz
Pau
Lourdes
Marseille
St Tropez
SPAIN
ANDORRA
Ajaccio
Mediterranean Sea

Thank you